



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012020-215525
CG-DL-E-17012020-215525

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]
No. 30]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2020/पौष 27, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2020/PAUSHA 27, 1941

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2020

मि. सं. 2-5/2019(ओएल).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का तीसरा) की धारा 26 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 12 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 में संशोधन करते हुए निम्नवत विनियम बनाता है, नामतः

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ-

- (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।
- (2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 के विनियम 2 के उप-विनियम (2) में निम्नवत परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आदेश द्वारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जोकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का 50वां) के तहत स्थापित एक विश्वविद्यालय है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए इन विनियमों के लागू होने से छूट प्रदान कर सकता है।”

रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./416/19]

नोट : मूल विनियम को दिनांक 4 जुलाई, 2018 को मि. सं. 1-19/2016 (सीपीपी-II/ डीईबी-I) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचित किया गया था।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2020

F. No. 2-5/2019 (OL).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations to amend the University Grants Commission (Online Courses or Programmes) Regulations, 2018, namely:-

1. Short title and commencement. —

- (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Online Courses or Programmes) Amendment Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the University Grants Commission (Online Courses or Programmes) Regulations, 2018, in regulation 2, in sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the University Grants Commission may, by order, exempt the Indira Gandhi National Open University, a university established under the Indira Gandhi National Open University Act, 1985 (50 of 1985), from the application of these regulations, considering the objectives of the said Act”.

RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./416/19]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, *vide notification* F. No. 1-19/2016 (CPP-II/DEB-I) dated the 4th July, 2018.